न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा
जिला-उदयपुर(राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी — श्री राकेश कुमार न्योल (RAS)

प्रकरण संख्या- 02/2020 प्रा0 प0

दायर दिनांक-13.01.2020

निर्णय दिनांक-26.02.2024

1. श्री बाबुलाल पिता बदा मीणा ,जाति-मीणा, निवासी-सुवेरी ,तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।
2. श्री हुरजी पिता बदा मीणा, जाति- मीणा, निवासी-सुवेरी , तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।

-वादिगण-

बनाम

1 श्री लक्ष्मण पिता बदा जी मीणा जाति- मीणा, निवासी सुवेरी,तहसील- खेरवाडा,जिला उदयपुर राज0।

2. शिवराम पिता बदा मीणा जाति- मीणा निवासी- सुवेरी , तहसील -खेरवाडा,जिला उदयपुर राज0।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0)

-प्रतिवादीगण-

प्रार्थना - पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा सुवेरी की आ0न0 442/0.13, 443/0.04, 454/0.12, 461/0.03 कुल किता 4 रकबा 0.32 हेक्टर. के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण स0 1 व 2 सगे भाई है और श्री धनु पिता बदा मीणा भी प्रार्थीगण एवं विपक्षी गण का भाई था वह शादी से पूर्व ही लाऔलाद फौत हो गया। श्रीमति मंगली देवी जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न0 1व 2 की माता थी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान में सयुंक्त खाते उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि है। स्व. श्रीमति मंगली देवी व धनु मीणा के एकमात्र वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी न0 1व 2 ही हैं। इसी कारण से उनके हिस्से की कृषि भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 है इसलिए बराबर हिस्से से बटवाडा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी गण के बीच लम्बे समय से मौके पर बटवाडा होने के कारण से अपने-अपने हिस्सो पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। और मौके पर अपने-अपने निवास के लिए मकान भी सभी ने बना रखे है। और उसी अनुसार से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अभी वर्तमान में कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा दर्ज है परंतु स्व. श्रीमति मंगली देवी व श्री धनु मीणा के मृत्यु हो जाने के कारण से और अन्य कोई मृतकगणों के वारीस नही होने के कारण से उनके हिस्से की कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी गण संख्या 1 से 2 के बीच बराबर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

का बटवॉडा कर 1/4 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। तथा कानूनन हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है और उनके मृत्यु से पूर्व अन्तिम समय में बताया गया था कि हमारे हिस्से की कृषि भूमि को चारों भाईयों में बराबर का बटवॉडा कर लेना। परन्तु आज तक मौके पर कोई विधिवत बटवॉडा नही किया गया है। यह कि विपक्षी संख्या 1 हमसलाह होकर अपने परिवारजनो के साथ में मिलकर प्रार्थीगण के घर पर आ गया और आकर घर को खाली करने की जबरन धमकीया देने लग गये और प्रार्थी के घर तक आने– जाने वाले रास्ते को रोक दिया और प्रार्थी का औटला को तोड दिया और साथ ही प्रार्थी कि मकान की दिवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है । विपक्षीगण को ऐसा नही करने से रोकने के लिये प्रार्थी सं.2 के द्वारा भी समझाया गया तो भी विपक्षीगण मानने को तैयार नही है। विपक्षीगण सं 1 व 2 मिलकर प्रार्थी का हिस्सा रोकना चाहते है । मकान पर जबरन कब्जा कर विपक्षीगण द्वारा अपना सामान रख लिया तथा प्रार्थीगण को अपना मकान व कृषि भूमि को छोडकर अन्यत्र चले जाने कि धमकी देते है। जिससे प्रार्थीगण ने कानुनी कार्यवाही हैतु रिपोर्ट पुलिस थाना खेरवाडा पेश कि गई। जहा से भी विपक्षीगणो को पावन्द किया गया है लेकिन विपक्षीगण ,प्रार्थीगण के साथ आये दिन लडाई– झगडा करते रहते है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगणो को जरीये नोटिस तलब किया जाकर दिंनाक 29/01/2020 को प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर (अस्थाई निषेधाज्ञा) मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति व किसी प्रकार का निर्माण नही करने के लिए पाबन्द किया गया था। दौराने कार्यवाही प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना–पत्र दिनांक 15/07/2021 को प्रार्थीगण का मूल दावा अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज होने पर प्रार्थना–पत्र इस स्टेज पर खारीज किया गया तथा पूनः प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26/07/2021 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19/01/2023 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना–पत्र नम्बर पर लिया गया। विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर जवाब बन्द कर बहस दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ताओ का मुख्य रूप से कथन है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत पाती बटवॉडा नही हुआ है। उक्त भूमि पुश्तैनी मकान प्रार्थी का बना हुआ है। जिसका उपयोग – उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है । उसी अनुसार कृषि में भी काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण सगे भाई है। लेकिन विपक्षीगण, प्रार्थीगण का हिस्सा हडपना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण के साथ झगडा फसाद करते आ रहै है प्रार्थीगण के मकान की दिवार को क्षतिग्रस्त एवं खूर्द–बुर्द कर रहे है एवं प्रार्थी के पुश्तैनी मकान के सामने रास्ते पर दीवार बनाकर रोक रहा है। इसलिए विपक्षीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी न. 1 व 2 की सपुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि होना सही है। लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थीगण का किस भाग पर होना पर होना वाद–पत्र अथवा प्रार्थना–पत्र मे जाहिर नही किया

सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

(13)

है । तथा अतिक्रमण कोनसी आराजी पर है इसके सम्बन्ध में तथ्य सही नही होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक नही है। अन्त में प्रार्थना– पत्र खारीज करने का निवेदन किया है ।

हमने विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि सयुंक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना –पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13/01/2020 को प्रस्तुत किया गया है। जिसको 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय सगंत नही है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 212 राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायलय आज दिनांक 26/02/2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेरवाड़ा * जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज0)

Scanned with CamScanner